

02/02/21

पत्रावली पेश हुई। वादीगण की फौत
दोहर 90 दिन से ज्यादा का समय हो चुका
है। पूर्व में दिनांक 19/01/2021 को भी वादी
अधिकता को एक अंतिम अवसर प्रदान किया
गया था। 09/09/2020 को प्राप्त पत्रावली
रिपोर्ट के अनुसार वादी संख्या 1 मेंगला की
फौत लगभग 2 वर्ष से अधिक समय
हो चुका है। वादी संख्या 2 केसा की फौत को
भी लगभग दो साल हो चुके हैं।

न्यायालय द्वारा अदालत के बंदोबंदी की फौत
पर 09/09/2020 को वादी अधिकता को नाम
कायमी हेतु कहा गया परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही
नहीं की गई है। पूर्व में तीन अवसर दिये जा चुके
हैं।

इसलिए वादी अधिकता अनुपस्थित रहे।
अतः, 022 R3(2) व 09 R3 के तहत
समय सीमा में नाम कायमी न करने व इसमें
दाजरी अदम पैकी में वाद कमी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से मम
हो।

सहायक कलम उर
आइल (फ), जिला उर